उन मामलों का विवरण जिनमें वर्ष 2021-22 के दौरान विज्ञापन के उपरांत अधियाचनाएं रद्द कर दी गई

क्र.सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	इसमें शामिल पदों की संख्या	रद्द करने का कारण
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	उप निदेशक (योजना / सांख्यिकी) योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लेवल 11: रू. 67700-208700)	2	दिव्यांगजन हेतु मुख्य आयुक्त के न्यायालय की सिफारिशों के आलोक में दृष्टिहीनता / अल्प दृष्टि (लो विजन) से पीड़ित बेंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवारों की उपयुक्तता का प्रावधान करने के लिए योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई।
2.	सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (रू. 15600-39100+6600) (पूर्व संशोधित)	6	चूंकि मंत्रालय ने माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्णय के आलोक में अधियाचना वापिस ले ली, अत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
3.	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड-IV के सहायक निदेशक (रा.भा.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (रू.15600-39100+5400) (पूर्व संशोधित)	50	माननीय न्यायालय में लंबे समय से लंबित मामले के कारण गृह मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
4.	केंद्रीय श्रम सेवा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / सहायक कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) / सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) और जूनियर टाइम स्केल ग्रेड के सहायक निदेशक (लेवल 10: रू.56100-177500)	17	ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के निगमीकरण के कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई, रिक्तियों को ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड में तैनात केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के साथ समायोजित की गई ।
5.	केंद्रीय श्रम सेवा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / सहायक कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) / सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) और जूनियर टाइम स्केल ग्रेड के सहायक निदेशक (लेवल 10: रू.56100-177500)	29	ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के निगमीकरण के कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द की गई, रिक्तियों को ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड में तैनात केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के साथ समायोजित की गई ।